



Neutral Citation No.- 2026:AHC:128757

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 23384/2026

रितु एवं अन्य

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याची के अधिवक्ता: अय्याज़ खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मु.स्था.अधि.

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादीगण के लिए विद्वान अ.मु.स्था.अधि., श्री ऋषि कुमार को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:
"(i) प्रतिवादी संख्या 2 तथा 3 को लिव-इन संबंध में रह रहे याची के जीवन तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देने वाली परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए तथा प्रतिवादीगण को याचीगण के लिव-इन संबंध के रूप में शांतिपूर्ण रहन-सहन में हस्तक्षेप न करने का भी निर्देश दिया जाए।
(ii) प्रतिवादी संख्या 3 को बिना किसी तर्क या कारण के याचीगण को गिरफ्तार न करने का आदेश देने वाला कोई उपयुक्त आदेश या परमादेश निर्देश जारी किया जाए।"
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दोनों याचीगण वयस्क हैं तथा यद्यपि याचीगण के बीच विवाह पर उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आपत्ति थी, वे लिव-इन संबंध में रहते हैं। तथापि, परिवार के सदस्य याचीगण को लगातार परेशान कर रहे हैं तथा उनके वैवाहिक सामंजस्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं; और इसलिए, उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित अपने जीवन तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा चाहते हुए,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की है।

4. **ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक नारी निकेतन दिल्ली एवं अन्य, 1976 3 एससीसी 234** में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायमूर्तियों की पीठ ने यह धारित किया था कि यदि कोई लड़की वयस्क है, तो उस व्यक्ति की उसकी पसंद पर, जिसके साथ वह रहना चाहती है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, न ही उस स्थान के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है जहां उसे रहना चाहिए; तथा यदि वह 18 वर्ष से अधिक आयु की है, तो वह सुई ज्यूरिस (स्वाधिकारी) है। रिश्तेदार ऐसे प्रकरण में याची की राय या पसंद के स्थान पर अपनी राय या पसंद को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।
5. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 5 एससीसी 475** में सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर-जातीय विवाहों पर भी विचार किया तथा उनका स्वागत किया और यह धारित किया कि एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है।
6. उक्त निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायमूर्तियों की पीठ ने **एस. खुशबू बनाम कन्नियमल एवं अन्य, 2010 5 एससीसी 600** में भी बरकरार रखा; तथा यह धारित किया कि एक वयस्क लड़की जिससे चाहे उससे विवाह करने या "जिसके साथ चाहे उसके साथ रहने" के लिए स्वतंत्र है।
7. न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि सामाजिक नैतिकता की धारणा स्वाभाविक रूप से व्यक्तिनिष्ठ है तथा दांडिक विधि का उपयोग व्यक्तिगत स्वायत्तता के क्षेत्र में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। नैतिकता तथा अपराधिकता समान विस्तार वाली नहीं हैं (**संदर्भ: नंद कुमार एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य, 2018 16 एससीसी 602**)।
8. प्रकरण के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि दोनों याचीगण वयस्क हैं तथा वर्तमान रिट याचिका के साथ दाखिल शपथ पत्र याचीगण के संयुक्त शपथ पत्र के माध्यम से हैं और राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता भी इस तथ्य का खंडन नहीं करते कि दोनों याचीगण वयस्क हैं; और इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका को स्वीकृति चरण में ही निस्तारित किया जा रहा है; लेकिन तथापि यदि वर्तमान रिट याचिका के



साथ दाखिल शपथ पत्र में कहे गए किसी भी तथ्य को गलत पाया जाता है, तो प्रतिवादीगण के लिए एक रिकॉल आवेदन दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

9. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका पक्षकारों की सहमति से, निम्नलिखित निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है:

(i) याचीगण एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं तथा यदि कोई भी व्यक्ति उनके वैवाहिक जीवन या शांतिपूर्ण रहन-सहन में हस्तक्षेप करता है, तो याचीगण इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो बिना किसी विलंब के याचीगण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।

(ii) इस तथ्य के दृष्टिगत कि याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के अनुसार, कोई प्र.सू.रि. या शिकायत दर्ज नहीं की गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश किसी भी प्रकार से विवाह की वैधता या विवाह प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की वास्तविकता के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करता है।

(iii) याचीगण यह वचन देते हैं कि वे उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के अधीन विवाह के रजिस्ट्रार के समक्ष आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपने विवाह के पंजीकरण हेतु आवेदन करेंगे तथा यदि पहले से नहीं किया गया है, तो अपने विवाह को शीघ्रता से पंजीकृत करवाएंगे।

(iv) यदि याचीगण द्वारा अपने विवाह के पंजीकरण हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो 2017 के नियमों के अधीन विवाह के रजिस्ट्रार से यह अपेक्षा की जाएगी कि यदि कोई अन्य विधिक बाधा न हो, तो वे ऐसे आवेदन की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उनका विवाह पंजीकृत करें।

10. उपर्युक्त टिप्पणी तथा निर्देश के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन)

22 जून, 2026

कुमार मनीष